उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–1341/ग्यारह–9(107)/07–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(165)–2016
लखनऊ::दिनांक:: 21 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 से उक्त अधिनियम की अनुसूची में, कम संख्या 23 की प्रविष्टि के पश्चात् उसमें निम्नलिखित प्रविष्टि को बढ़ाने के लिये संशोधन करते हैं:–

"24. आन लाइन शापिंग अथवा ई–कामर्स द्वारा कय या आर्डर कर व्यवसाय के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र के भीतर परेषित या लाया गया, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची–एक में वर्णित माल से भिन्न सभी प्रकार का माल।"

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

एडि. कमि. (Law)

SSO-1
21-09-2016

2434
21-9-2016

JC(V)

ACTT(V)
21-9-16

277(V)
21.9.16